Closing of industries

825. SHRI BISWA GOSWAMI:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of large-scale industries which were closed during the year 1984-85; and

(b) what is the number of persons rendered unemployment on account of such closures?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The information regarding the industrial units lying closed in the country and details pertaining to them are not centrally maintained in the Ministry. However, information which is centrally collected by the Ministry of Labour on factories registered under the Factories Act, 1948, which are lying closed for long or short duration is given in standard tabulated forms published in the Indian Labour Journal, which is a monthly publication of the Labour Bureau, Government of India. Copies of the publication are available in the Parliament House Library.

न्यायाधीशों के रिक्त-पद

826. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में इस समय न्यायाधीशों के रिक्त पड़े हुए पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि ऐसे रिक्त पदों को भरने का विचार नहीं है, तो उसके कारण क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) :

(क) से (ग) 27-2-1986 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की तीन और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 61 रिक्तियां थीं ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के मामले पर सरकार विचार कर रही है। वह इस संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से परामर्श कर रही है । परामर्श करने की प्रक्रिया में समय लगता है और सरकार उक्त रिक्तियों को यथासंभवशीघ्र भरने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास कर रही है ।

जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है ।

Criteria for Declaring 'No Industry Area'

827. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States have suggested to the Central Government that the taluka or block instead of district be taken as the basis for the declaration of 'No industry area';

(b) if so, the names of such States;

(c) whether all the States have been asked to give their comments on the above suggestion; and

(d) if so, the names of the States which have given their suggestions and what are the details of the suggestions given by each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The names of such state are Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka; Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu.

(c) and (d) The existing policy is under review. The Inter-Ministerial Committee has been set up for the purpose. The Committee have circulated a questionaire and also held zonal meetings with all the State Governments to elicit their views. The suggestions received from various State Governments are under examination by the Committee.

लोक अदालतों द्वारा की गई बैठकें

828. **श्री चिमन भाई महता :**
श्री रामसिंह भाई पातलीया भाई राठवा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 14 फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान गुजरात में तथा देश के अन्य भागों में लोक अदालतों द्वारा की गई बैठकों की संख्या कितनी है,

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अदालतों में दायर किए गए मामलों की संख्या कितनी है तथा ये मामले किस प्रकार के हैं ;

(घ) ऐसी अदालतों द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या कितनी है तथा उसके द्वारा दिए गए न्याय-निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उपयुक्त अवधि के दौरान लोक अदालतें स्थापित की गई थीं;

(च) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां न तो ऐसी अदालतें स्थापित की गई हैं और न ही अब तक उनकी कोई बैठक हुई है ; और

(छ) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनकी लोक अदालतें स्थापित किए जाने तथा 1986 के दौरान उनकी बैठकें किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) लोक अदालतों के कार्य का समन्वय विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है । समिति द्वारा भेजी गई जानकारी निम्नलिखित है :—

(क), (ख) और (ङ) उन राज्यों के नाम और उन राज्यों में लोक अदालत द्वारा की गई बैठकों की संख्या :—

क्रम० सं०	राज्य का नाम	जितनी लोक अदालतें हुई हैं उनकी संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	6
2	बिहार	3
3	गुजरात	1
4	हरियाणा	2
5	उड़ीसा	3
6	राजस्थान	3
7	तमिल नाडु	2
8	उत्तर प्रदेश	1

(ग) और (घ) अदालतों में फाइल और विनिश्चित किए गए मामलों की संख्या :—

राज्य का नाम	विनिश्चित मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2000
बिहार	2340
हरियाणा	5000 (लगभग)
उड़ीसा	490
राजस्थान	7720
उत्तर प्रदेश	9800

(गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के बारे में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इन मामलों में सिविल, दाण्डिक, वैवाहिक राजस्व और मोटर दुर्घटना आदि संबंधी दावे सम्मिलित है ।

लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं ।